

is, vegetarian and non-vegetarian refreshment rooms and restaurants on all Railways including Southern Railway are open to all experienced caterers including the co-operative societies of actual workers. These contracts are awarded after calling for applications by giving due publicity. However, no applications have been received from any Co-operative Society in response to such invitations on Southern Railway. There are, however, Co-operative Societies having 'fruit', 'tea stall' and 'milk vending' contracts at certain stations on Southern Railway.

**भुसावल-इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी**

१७३१. श्री कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में भुसावल-इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी का इंजन और १ डिब्बा पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ग) क्या सरकार ने इस बान का पता लगाया है कि यह दुर्घटना किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई ; और

(घ) क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्रवाई करने का विचार कर रही है ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १८-३-१९६४ को सवेरे लगभग ४ बजकर २० मिनट पर ३८८ अप इलाहाबाद-भुसावल सवारी गाड़ी मध्य रेलवे के गुरी स्टेशन की अप लूप लाइन से खाना होने व तुरन्त बाद "सैंड-हैम्प" में धुस गयी। इसकी वजह से गाड़ी का इंजन और उसके पीछे लगा ठूमा खाली डिब्बा पटरी से उतर गये ।

(ख) किरा की मृत्यु नहीं हुई । चार व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं ।

(ग) इस का जांच का जो रहीं हैं

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के सम्बन्ध में रेल प्रशासन लगातार ध्यान देता रहता है । इस मामले में जांच के फलस्वरूप यदि कुछ विशेष उपाय बनाने के सुझाव दिये जायेंगे, तो उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

12 hrs.

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

**NOTIFICATION re MARKET LOANS FLOATED IN 1964-65**

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance Notification No. F. 13(3)-W&M/64, dated the 30th March, 1964, regarding Market Loans floated by the Central Government in 1964-65. [Placed in Library, See No. LT-2601/64].

**RULES UNDER MAJOR PORT TRUSTS ACT**

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): I beg to lay on the Table a copy each of the following Rules under sub-section (3) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

- (1) The Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 298 dated the 29th February, 1964. [Placed in Library, See No. LT-2602/64].
- (2) The Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 299 dated the 29th February, 1964. [Placed in Library, See No. LT-2603/64].

